

16-12-19 प्रारंभ का कार्य स्वयं प्रस्ताव/हस्तात

के अन्तर्गत अभिलेखिकरण उपस्थित नहीं।
दीर्घादीन अधिकारी जय बागों में तय है
पत्रावली दिनांक 27.12.19 को पेश हो

27/12/19 नवीन उभयपक्ष उपस्थित
प्रार्थना पत्र 0-7-R-11 CPC

वहस हेतु रजाम चाहा पत्रावली
वास्ते वहस प्रार्थना पत्र दिनांक
10-1-20 को पेश हो

10.01.2020 उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित प्रार्थना पत्र आदेश
7 नियम 11 सी.पी.सी. पर उभयपक्ष के अधिवक्तागण
की बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र
दिनांक 27.01.2020 को पेश हो।

27.01.2020 उभयपक्ष के अधिवक्ता गत पेशी पर सुनी गई
बहसपर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन
किया बाद अवलोकन पाया कि प्रतिवादी संख्या 4 व
6 द्वारा जरिये अधिवक्ता दिनांक 28.08.2019 को
प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. प्रस्तुत
किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया गया कि
वादीया द्वारा उक्त वाद पत्र आराजी चक 2 के.एन.
जे. व चक 3 के.एन.जे. की भूमि वाबत अन्तर्गत धारा
88, 53, 188 आर.टी.ए. प्रस्तुत किया गया है, जबकि
वाद ग्रस्त भूमि का वाद पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व ही
दिनांक 19.03.2019 को विभाजन होकर दिनांक
26.03.2019 को विभाजन हो चुका है। चूंकि उक्त
भूमि का विभाजन वादपत्र प्रस्तुत करने से पूर्व हो
चुका है। जिस कारण हम वादीया को हम प्रार्थीगण
के विरुद्ध कोई वाद कारण हासिल नहीं है। इस
कारण वादीया द्वारा अपने कब्जा काश्त में चक 3 के.
एन.जे. के पत्थर नम्बर 114/265 किला नम्बर 11
विभाजन में बलजीतसिंह पूर्ण पूर्णसिंह को प्राप्त हुई
है। व वादीया द्वारा अपने वाद पत्र में बलजीतसिंह
को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है। वादीया
द्वारा गलत ब्यानी कर पूर्ववर्ती दस्तावेज के आधार
पर उक्त वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है। वादीया
स्वच्छ हाथों से माननीय न्यायालय के समक्ष
उपस्थित नहीं आई है। वादीया को प्रार्थीगण के
विरुद्ध कोई वाद हेतुक प्राप्त नहीं है। व इसी आधार
पर वाद वादीया खारिज किये जानें योग्य है।

वादीया द्वारा जरिये अधिवक्ता दिनांक 30.09.2019
को जबाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके
अन्तर्गत कथन किया गया कि प्रार्थना पत्र में अंकित
तथ्य निराधार व बिना दस्तावेजी साक्ष्यों का
अवलोकन किये प्रस्तुत किया गया है, जो अस्वीकार
.....लगाता

न्यायाधीश कलक्टर
पत्रावली अधिकारी
दुम्मानगर

